

प्राचार्य का कार्यालय  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय आदेश

सभी विभागाध्यक्ष,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर।

एतव द्वारा ससूचित किया जाता है कि आज दिनांक- 10.06.2021 को प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित VC में प्राप्त निर्देश एवं स्वास्थ्य विभागीय आदेश पत्रांक-35(10) दिनांक-03.06.2021 के आलोक इस संस्थान के रद्दी सामानों की निलामी e-Auction के माध्यम से की जानी है (छायाप्रति संलग्न)। अतएव अपने-अपने विभाग में उपलब्ध रद्दी या अनुपयोगी सामानों का सूची दो दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। (प्रपत्र संलग्न)  
इस कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।


ह0/-  
प्राचार्य

ज्ञापांक- 865/21  
प्रतिलिपि-

दिनांक- 11/6/2021

- 1) अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- 2) डा0 दीपक कुमार, नोडल ऑफिसर MSTC, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- 3) सभी विभागाध्यक्ष/ई-स्टेट ऑफिसर/भंडार पदाधिकारी/पुस्तकालय सचिव/वार्डेन छात्र/छात्रा छात्रावास/बरसर/अतिथिशाला प्रभारी/प्रधानलिपिक, प्राचार्य कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- 4) सूचना पट्ट, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- 5) आई0 टी0 शाखा, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

  
प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

**Draft Format of**

**List of Materials to be disposed through e-auction by MSTC**

Name of Seller:

Seller No. :

Lot No.	Lot / Material Name	Material Description including E-WASTE / HAZARDOUS WASTE	Unit of Measurement (Lot, Kg, MT, Litre, Quintal, no., etc. as applicable)	GST rate applicable.	Location	Contact Person details (name, designation, mobile no., etc.)

**Kindly Note-** If above material(s) has to be disposed in Lot as unit of measurement then it is advisable not to mention weight/Litre/any other unit for measurement of the material.

प्रेषक,

शैलेश कुमार,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य, एवं अधीक्षक

सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।

सभी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।

सभी आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।

तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

सभी सिविल सर्जन, बिहार।

सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

प्राचार्य/निदेशक,

अन्य सभी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिहार।

सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी।

अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मुख्यालय)।

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रकीर्ण कार्यालय एवं संस्थान)

पटना, दिनांक :- 07 - जून, 2021

**विषय :-** स्वास्थ्य विभाग एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों, कार्यालयों, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रकीर्ण संस्थानों, कार्यालयों अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्कैप, एम्बुलेंस, शव वाहन एवं सभी प्रकार के वाहन आदि को रद्दी घोषित करने हेतु समिति गठित करते हुए निलामी प्रक्रिया Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Limited (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-ऑक्सन करने से संबंधित मामले पर दिशा निर्देश के संबंध में।

**प्रसंग :-** संकल्प सं0 35(10) दिनांक 03.06.2021।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्यक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों, कार्यालयों, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रकीर्ण संस्थानों, कार्यालयों अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्कैप, एम्बुलेंस, शव वाहन एवं सभी प्रकार के वाहन आदि को रद्दी घोषित करने हेतु समिति गठित करते हुए निलामी प्रक्रिया Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Limited (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-ऑक्सन करने से संबंधित मामले पर दिनांक 10.06.2021 (बृहस्पतिवार) को मध्याह्न 12:00 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिया जाना है।

अनुरोध है कि उक्त निर्धारित विडियो कान्फ्रेंसिंग में अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों के साथ भाग सुनिश्चित किया जाये। इसके लिये ई-मेल के माध्यम से विडियो कान्फ्रेंसिंग का आई0डी0लिक एवं पासवर्ड पृथक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमार)  
सरकार के उप सचिव

2440000

**बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग**

**संकल्प**

**विषय:-** स्वास्थ्य विभाग एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों, कार्यालयों, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रकीर्ण संस्थानों, कार्यालयों अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्कूप, एम्बुलेंस, शव वाहन एवं सभी प्रकार के वाहन आदि को रद्दी घोषित करने हेतु समिति गठित करते हुए निलामी प्रक्रिया Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Limited (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-ऑक्सन द्वारा करने की स्वीकृति।

राज्य के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में, स्वास्थ्य उप-केन्द्र से लेकर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल स्तर तक के मोटे तौर पर 12000 चिकित्सा संस्थान, चिकित्सा शिक्षा संस्थान, आयुष संस्थान एवं अन्य संस्थान कार्यरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना एवं अन्य योजनान्तर्गत इनकी अधःसंरचना में विकास के साथ-साथ इनकी संख्या में भी निरन्तर वृद्धि की जा रही है।

2- उक्त संस्थानों के निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि इन संस्थानों में काफी मात्रा में स्कूप, यथा- अनुपयोगी मशीन/उपस्कर/गाड़ियां इत्यादि बेकार पड़े हुए हैं जिनका संस्थान में अब कोई उपयोग नहीं हो सकता है एवं इनसे संस्थान की काफी जगह अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है। इससे संस्थान के विकास, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3- वर्णित परिपेक्ष्य में यह अपेक्षित है कि स्वास्थ्य विभाग एवं इसके अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों, आयुष संस्थानों, अन्य संस्थानों के अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्कूप, एम्बुलेंस, शववाहन, एवं अ-य प्रकार के वाहन आदि को रद्दी घोषित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर समितियों का गठन किया जाय और निलामी प्रक्रिया किसी प्रतिष्ठित लोक उपक्रम के द्वारा ई-ऑक्सन के माध्यम से करायी जायेगी।

4- जैसा कि उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित हैं कि राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में बड़ी मात्रा तथा संख्या में स्कूप जमा है और काफी क्षेत्र अनावश्यक घेरे हुए हैं जिनका सदुपयोग जनहित में किया जा सकता है और साथ ही इससे सरकार को एक बड़ी राशि भी प्राप्त हो सकती है। परम्परागत तरीके की निलामी प्रक्रिया अपनाएने से काफी विलंब होने की संभावना है। इसलिए आवश्यकता को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि इसके लिए ई-ऑक्सन की प्रक्रिया अपनायी जाय। इससे निलामी की प्रक्रिया त्वरित एवं पूर्णतः पारदर्शी रहेगी।

5- इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों, कार्यालयों, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य प्रकीर्ण संस्थानों की अनुपयोगी मशीनों, उपस्करों, स्कूप, एम्बुलेंस, शव वाहन एवं अन्य प्रकार के वाहन को रद्दी घोषित करने हेतु निम्नरूपेण समिति का गठन किया गया है:-

(क) जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रीय आयुष औषधालय एवं कार्यालय-	(ख) अतिविशिष्ट अस्पतालों के लिए-
(i) सिविल सर्जन - अध्यक्ष	(i) संबंधित प्रमण्डल के प्रमण्डलीय अपर निदेशक-अध्यक्ष
(ii) संबंधित संस्थान के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक/संबंधित कार्यालय प्रधान - सदस्य	(ii) संबंधित संस्थान के निदेशक- सदस्य
(iii) संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि- सदस्य	(iii) संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि- सदस्य
(iv) संबंधित संस्थान/कार्यालय के प्रभारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी- सदस्य	(iv) संबंधित जिले के सिविल सर्जन के प्रतिनिधि-सदस्य
(ग) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/आयुष चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए-	(घ) विभागीय मुख्यालय स्तर के लिए-
(i) संबंधित संस्थान के प्राचार्य-अध्यक्ष	(i) प्रधान सचिव द्वारा नामित पदाधिकारी-अध्यक्ष
(ii) संबंधित संस्थान के अधीक्षक-सदस्य	(ii) निदेशक प्रमुख (प्रशासन)-सदस्य
(iii) संबंधित संस्थान के उपाधीक्षक-सदस्य	(iii) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (BMSIC-L) के प्रतिनिधि- सदस्य
(iv) संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि-सदस्य	(iv) विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी- सदस्य

*(Handwritten signature)*

6- उक्त समिति को समय-समय पर आवश्यकतानुसार पुनर्गठित करने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग को होगा।

7- उक्त समिति द्वारा संस्थानों के स्कैप, मशीनों एवं उपकरणों को रद्दी घोषित किये जाने के पश्चात् MSTCL, जो इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार का एक लोक उपक्रम है, के द्वारा अनुपयोगी मशीनों, उपकरणों, स्कैप, एम्बुलेंस, शववाहन एवं सभी प्रकार के वाहन का ई-ऑक्सन के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निलामी की जायेगी:-

- (i) स्वास्थ्य विभाग के साथ एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) एक करार करेगी, जिसके तहत एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड विभाग के लिए सीधे तौर पर Selling Agent होगी।
- (ii) उपरोक्त समिति द्वारा स्कैप, अनुपयोगी उपकरण तथा मशीनों तथा उपकरणों के रद्दी घोषित किये जाने के बाद संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारी जिन्हें विक्रेता पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, स्कैप, अनुपयोगी उपकरण तथा मशीनों तथा उपकरणों की सूची एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड को उपलब्ध करायेगे। इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।
- (iii) एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड विक्रेता पदाधिकारी के लिए सीधे तौर पर Selling Agent होगी।
- (iv) एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड की ई-ऑक्सन की प्रक्रिया एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड के वेबसाइट से की जाएगी, साथ ही ई-ऑक्सन हेतु निविदा की सूचना एवं प्रचार-प्रसार एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड के द्वारा की जायेगी।
- (v) एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड स्कैप, अनुपयोगी उपकरण तथा मशीनों तथा उपकरणों का विस्तृत कैटलॉग बनाकर ई-ऑक्सन 21 दिन पूर्व अपने वेबसाइट पर लोड करेगी।
- (vi) प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी द्वारा सभी स्कैप, अनुपयोगी तथा मशीनों तथा उपकरणों का अधिकतम दर (आरक्षित मूल्य) तय किया जाएगा जिसे एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड के वेबसाइट पर E-auction हेतु 02 दिन पूर्व अपलोड कर दिया जाएगा।
- (vii) ई-ऑक्सन के उपरान्त ई-ऑक्सन का परिणाम एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड चयनित बिडर से EMO/Security Deposit प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी के वारंते प्राप्त करेगा तथा संबंधित खरीदार के साथ करार करेगा एवं तीन प्रतिशत सेवा शुल्क काटते हुए विक्रय मूल्य को संबंधित प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी को सौंप देगा जिसे प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी द्वारा सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा (अगर संबंधित प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी GST में निर्बंधित नहीं हो तो एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड नियमानुसार निर्धारित दर से GST एवं सेवा शुल्क काट कर शेष राशि प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी को हस्तांतरित कर देगा जिसे वे सरकारी कोष में जमा कर देंगे।
- (viii) एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड चयनित बिडर को विक्रेता पदाधिकारी की ओर से Delivery Order निर्गत करेगा।
- (ix) यदि ई-ऑक्सन में कोई प्रतिभागी भाग नहीं लेता है तो एम0एस0टी0सी0 द्वारा कोई राशि नहीं ली जाएगी।

8- उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्नरूपेण प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी घोषित किया जायेगा:-

क्र०सं०	संस्थान	नामित प्राचार्य
1	संबंधित जिले के स्वास्थ्य उप-केंद्र से लेकर जिला स्तरीय अस्पताल/संस्थान या कार्यालय	संबंधित जिले के सिविल सर्जन
2	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/आयुष चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए-	संबंधित प्राचार्य/निदेशक

3	जिला एवं क्षेत्रीय आयुष औषधालय के संस्थान/ कार्यालय	जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी
4	विभागीय मुख्यालय	अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
5	प्रकीर्ण कार्यालय एवं संस्थान-	संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

9- उक्त कार्य हेतु Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Limited (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-ऑक्सन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा करार किया जायेगा।

10 - यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

*dw*  
03/06/21  
(राम ईश्वर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 10/विविध-16-07/2021 - 35(10)

/स्वा0,पटना दिनांक- 03-06-2021

प्रतिलिपि- अवर सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो हार्ड कॉपी एवं सीडी0 को साथ राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप प्रवन्धक, MSTC LTD, 3rd Floor, DCM cum MRT Building SBPDCL, Road No-01, Atal Path, Near R Block, Patna, Bihar, PIN-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, सभी जिला स्वास्थ्य समिति/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/अधीक्षक/उपाधीक्षक सभी सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल, प्राचार्य/अधीक्षक, सभी आयुष संस्थान एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 एवं 10 तथा कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

*dw*  
03/06/21  
सरकार के संयुक्त सचिव।